# अध्याय IX: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## 9.1 जिपमेर के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान ₹4.56 करोड़

**वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय से आदेशों को प्राप्त किए बिना अदा किए गए तदर्थ बोनस के परिणामस्वरूप ₹4.56 करोड़ के तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।**

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग केन्द्र सरकार के ग्रुप 'सी', 'डी' तथा ग्रुप 'बी' के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ-बोनस) प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक कार्यालय ज्ञापन जारी करता है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए क्रमशः 3 अक्तूबर 2016[1] तथा 19 सितम्बर 2017[2] को जारी किए गए थे। स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस देने हेतु वित्त मंत्रालय से आदेश प्रत्येक वर्ष अलग से जारी किए जाते हैं। यह देखा गया था कि स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस प्रदान करने हेतु ऐसे आदेश वर्ष 2014-15 तक जारी किए गए हैं तथा वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 के लिए आदेश जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए कुल ₹4.56 करोड़ का तदर्थ बोनस जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी ने कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के आदेशों के बिना अदा किया गया था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए वित्त मंत्रालय से संस्वीकृत आदेश प्राप्त किए बिना तदर्थ बोनस के भुगतान का परिणाम जिपमेर द्वारा ₹4.56 करोड़ के गलत भुगतान में हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैरा को स्वीकार किया तथा सूचित (जुलाई 2018) किया कि जिपमेर ने अपने कर्मचारियों को प्रदान किये अनियमित तदर्थ बोनस की वसूली शुरू कर दी है। बाद में जिपमेर (अगस्त 2018) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कानून और

---

1 संदर्भ का.ज्ञा.सं. 7/4/2014-ई.।।।(ए) दिनांक 03 अक्तूबर 2016

2 संदर्भ का.ज्ञा.सं.7/4/2014-ई.।।।(ए) दिनांक 19 सितम्बर 2017

न्याय मंत्रालय से कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिपमेर को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार रकम वसूली के लिए निदेश दिए (मई 2019)।

जिपमेर द्वारा वास्तविक वसूली अभी तक प्रभावित नहीं की गई है (जून 2019)।